श्रावक के बारह-व्रत

सम्यक्त्त्व का स्वरूप।

तत्त्व (वस्तु) का जैसा स्वरूप है उसको उसी प्रकार जान
र श्रद्धा करना सम्यक्त्व है। मुख्य तत्त्व तीन हैं:—देव, गुरु और
र्म।

वतत्त्व—कर्मशत्रु को हनने वाले, अठारह दोष रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक-अरिहन्त और अष्ट कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान देव हैं।

गुरुतत्त्व—निर्ग्रन्थ (परिग्रह रहित) कनक कामिनी के त्यागी पंच महाव्रत के धारक, षटकाय जीवों के रक्षक, सत्ताईस गुणों से भूषित, वीतराग की आज्ञानुसार चलने वाले साधु, गुरु हैं।

धर्मतत्त्व—सर्वज्ञभाषित, दयामय, विनयमूलक, जीवतत्त्व और अजीवतत्त्व तथा आत्मा और कर्म का भेदज्ञान करने वाला, मोक्ष तत्त्व का प्ररूपक—शास्त्र, है।

प्रतिज्ञा

ऊपर लिखे अनुसार मैं देव गुरु और धर्म की श्रद्धा (प्रतीति) करूँगा। इनके सिवा किसी दूसरे कुगुरु और कुधर्म को मोक्ष साधक व सच्चा नहीं मानूँगा।

आगार

कदाचित् राजा के आग्रह से, ज्ञाति के बलात्कार से, देव के प्रकोप से, माता पिता, आदि कुटुम्ब की तथा गुरु की आज्ञा पालन निमित्त दुष्काल (विपत्ति पड़ने पर अथवा अटवी में भटके निर्वाह निमित्त कुदेव कुगुरु कुधर्म का दान-मान देना तो मेरे आगार है इनके सिवा किसी विशेष अवसर पर दुखी जीव की रक्षा निमित्त संघ का कष्ट दूर करने निमित्त, धर्म की प्रभावना के लिए और लोक व्यवहार से कुदेव आदि का सम्मान करना पड़े तो इनका भी मेरे आगार है।

नियम

देवाराधना—सुख शान्ति में नित्य प्रति नमोकार मन्त्र की माला ( ) या आनुपूर्वी गिनूँगा अथवा पांच पदों की वन्दना करूँगा—अर्थात देवस्तुति करता रहूँगा।

१. आगार—इन कारणों से नियम भंग नहीं होगा।

गुरुआराधना— जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उस क्षेत्र में विराजमान साधु साध्वी का प्रतिदिन दर्शन करूंगा। यदि किसी विशेष कारण से दर्शन नहीं कर सका तो किसी [1] विगय आदि का त्याग करूंगा या किसी दूसरे नियम का पालन करूंगा शास्त्रानुसार गुरु भक्ति करता रहूंगा।

धर्मआराधना— केवली भाषित, अहिंसा स्वरूप, दयामय धर्म को धर्म मानूंगा, और जिसमें हिंसा होती है उसे धर्म नहीं मानूंगा। देवी देवता, तीन सौ तिरसठ पाखंडी, कुदर्शनी, पासत्थ को वंदना आदर-सत्कार रुपया पैसा आदि धर्म निमित्त नहीं दूंगा, यदि लोक व्यवहार से देना पड़े तो उसे धर्म नहीं समझूंगा। बन सकेगा जहाँ तक थोड़ा या बहुत जिनवाणी का पठन-मनन या श्रवण करूंगा। नवतत्व चार निक्षेप, चार प्रमाण सातनय सप्तभंग तथा जिन भाषित शास्त्रों का यथाविधि स्वाध्याय करने का प्रयत्न करूंगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों द्वारा तथा नयों द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूंगा।

इस प्रकार मिथ्यात्व त्याग कर सम्यक् गुरु श्री ____________ ____________ महाराज के समीप सम्यक्त्व ग्रहण करता हूं।

---

[1] दुग्ध-घृत-नवनीत (मक्खन) तेल-गुड़ादि पदार्थों का परित्याग करना

आदि भिनभिनाने लगते हैं तथा गन्दगी फैलती है, जो रोगोत्पत्ति का कारण बन जाती है।

८ झाड़ू बुहारी कठोर नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि इसमें कोमल जीव मर जाते हैं।

९ मोरी गटर आदि में टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सम्मूर्छन जीवों की हिंसा होती है, और गन्दी वायु से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

१० खाने पीने की वस्तुएं रसचलित हो गई हों, गन्ध वर्ण बदल गया हो वस्तु में तार पड़ गई हो, कालिमा नीलीया फूलन आगई हो इत्यादि विकृत चीजों को खाने पीने के काम में नहीं लाना चाहिए।

११ तालाब नदी कुए आदि में कूद कर या अन्दर घुस कर बिना छने पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर की गर्मी और पसीने से तथा शरीर के आघात से बहुत से जलचर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

१२ दीपक को खुला नहीं रखना चाहिए, जीवों की रक्षा के लिए ढका रहना चाहिए और उसको असावधानी से न जलाना चाहिए।

१३ अपने वृद्ध पशुओं को आवारा नहीं फिरने देना चाहिए, क्योंकि इन पशुओं ने बहुत वर्ष तुम्हारी सेवा की है, इसलिए ये वृद्ध माता की तरह पालन करने योग्य है। इनको कसाई के हाथ नहीं बेचना चाहिए तथा ऐसी जगह पर भी नहीं बेचना चाहिए, जहां ये कष्ट पावें।

१४ मेले, विवाहादि अवसर पर इक्का, गाड़ी आदि को शर्त बद कर नहीं दौड़ाना चाहिए, ऐसा करने से घोड़े बैल आदि के प्राण चले जाते हैं तथा मार्ग में कुत्ते, बालक आदि दब कर मर जाते हैं।

१५ जिन वस्तुओं के निमित्त से पंचेन्द्रिय जीवों का घात होता है ऐसी वस्तुओं, पंख वाली पोशाकों, कचकड़ा की चीजों हाथी दांत वगैरह की वस्तुओं को काम में नही लाना चाहिए, क्योंकि इनसे हिंसा को उत्तेजना मिलती है।

१६ बिरादरी आदि के जीमन में एक थाल में अनेक को मिलकर भोजन नहीं करना चाहिए और जूठा नहीं डालना चाहिए।

१७ रात्रि को भ्रमण न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीव हिंसा और व्यभिचार की संज्ञा बढ़ जाती है।

१८ हिंसक जाति को बछड़ा पाड़ा आदि पशु नहीं देने चाहिए।

१९ मृतक की राख और हड्डी (फूल) को नदी तालाब आदि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राख हड्डी के खार से जल में के त्रस जीव भी मर जाते हैं।

२० जिससे किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना हो, ऐसे किसी भी जहरीले पागल आदि जानवरों को श्रावक न मारे न मरावे और न मारने वाले को भला जाने। यदि किसी की प्राणरक्षा के निमित्त उन्हें पकड़ कर या पकड़वा कर, पींजरे में या शून्य घर में या एकान्त स्थान में छोड़ना या छुड़वाना पड़े तो दूसरी बात है।

आगार

१ किसी जीव का प्राण बचाने के लिए अथवा किसी अना-
कार मनुष्य को शिक्षा दिलाने के लिए यदि कोई झूठ बोलना
पड़े तो इसका मेरे आगार है।

२ हास्य भय क्रोध आदि परिणाम से राजा की आज्ञा
अचानक बिना विचारे बोलने बेहोशी से यदि मुझसे असत्य
बोला जावे तो मेरे आगार है।

अतिचार (दोष)

१ बिना विचारे किसी को आघात पहुंचे, ऐसा वचन बोलना।
२ किसी की गुप्त बात प्रकट करना।
३ किसी स्त्री पुरुष का मार्मिक भेद प्रकाशित करना।
४ किसी को जान बूझ कर झूठा उपदेश देना, खोटी सलाह देना
५ झूठा लेख खत पत्रादि लिखना।

ये सत्याणुव्रत के पांच अतिचार हैं, इनको जान कर त्यागना चाहिए।

शिक्षा

१ जिस बात का पक्का प्रमाण न हो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये।

२ युक्त अयुक्त का विचार किये बिना नहीं बोलना चाहिये।

३ विशेष कारण बिना ऐसा कटु वचन नहीं बोलना चाहिये जिससे दूसरे के साथ बिगाड़ हो।

४ अपनी शक्ति का विचार न करके लम्बी चौड़ी बातें नहीं करनी चाहिये।

५ इतना ही बोलना चाहिये, जिसका पालन कर सकें अधिक बोलने से प्रतिष्ठा घटती है तथा लोगों का विश्वास उस पर नहीं रहता है।

६ किसी को नुकसान पहुंचे, फजीता हो विरोध बढ़े ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये।

७ कोई सलाह लेने आवे उसको खोटी सलाह नहीं देनी चाहिये, क्योंकि इसे विश्वासघात कहते हैं और विश्वासघात महा-पाप है।

८ भले बुरे का विचार किये बिना दूसरे को प्रसन्न करने के लिये मृदुभाषी नहीं बनना चाहिये।

९ किसी को कुमार्ग से रोकने के लिये हितकामना से बोले गये कटु वचन परिणाम में सुखदायी होने से यद्यपि निर्दोष हैं, तथापि दूसरे को अग्राह्य होने से मौन रहना अधिक श्रेयस्कर है।

१० किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसी का दोष प्रगट हो तो उसको प्रेम पूर्वक समझा कर दोष दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु दुर्भावना से उसके पीठ पीछे दोष प्रगट नहीं करना चाहिये।

११ धर्मस्थान में या धर्मक्रिया करते समय विकथा नहीं करनी चाहिये।

१२ धार्मिक कार्यों में छल कपट सहित नहीं बोलना चाहिये।

१३ सभा में पंचायती में अथवा अपरिचित मनुष्य के साथ कभी हँसी मजाक नहीं करनी चाहिये।

१४ स्त्रियों को पुरुषों के साथ और पुरुषों को स्त्रियों के साथ कभी हँसी मजाक नहीं करनी चाहिये।

१५ किसी के साथ हँसी दिल्लगी का सम्बन्ध हो उसको भी घटाना चाहिये, क्योंकि हँसी मजाक से कभी २ क्लेश हो जाता है, अथवा प्रेम द्वेष का रूप धारण कर लेता है।

१६ जहाँ तक बन सके कम बोलने की आदत डालनी चाहिये. हित मित सत्य और प्रियवचन बोलने का अभ्यास करना

१७ निम्नोक्त मुख्य १४ कारणों से झूठ बोला जाता है—१ क्रोध २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ राग, ६ द्वेष, ७ हास्य, ८ भय ९ लज्जा, १० क्रीड़ा, ११ हर्ष, १२ शोक, १३ चतुराई और १४ बहुत बोलना।

१८ झूठ से अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता, एक झूठ से सब सद्गुण ढंक जाते हैं, एक झूठी बात को सिद्ध करने के लिये के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठे को लोग गप्पी, लबार, लुच्चा ठग, धूर्त इत्यादि

नामों से पुकारते हैं। झूठ से कभी-कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है और परभव में गूंगा बावला कटुभाषी तोतला दुर्गन्ध मुख वाला और एकेन्द्रिय आदि होता है, ऐसा समझ कर झूठ का त्याग करना चाहिए।

१९ यदि स्त्री कोई गुप्त बात अपने पति से कहे तो पति को चाहिये कि उसे प्रकाशित न करे, क्योंकि कभी-कभी गुप्त बात के प्रकाशित हो जाने पर स्त्री आत्म हत्या तक कर लेती है।

२० प्रथम तो कोई गुप्त बात स्त्री को कहनी ही नहीं चाहिए यदि किसी खास कारण से कोई गुप्त बात स्त्री को कह दे तो स्त्री को चाहिए कि उसको प्रकाशित न करे, क्योंकि कोई-कोई बात ऐसी होती है कि जिसके प्रकाशित हो जाने से पति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसी तरह मित्र को भी चाहिए कि मित्र की कोई गुप्त बात प्रगट न करें।

तीसरे स्थूल अदत्तादान (चोरी) का त्याग

द्रव्य से—मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा और न करवाऊंगा, जिससे राज दण्ड या पंचों से अपमान हो।

क्षेत्र से—मैं मर्यादित क्षेत्र की वस्तु को स्वामी की आज्ञा बिना ग्रहण नहीं करूंगा और न करवाऊंगा, जिससे राजा द्वारा दण्ड या पंचों द्वारा दण्ड प्राप्त हो। मर्यादा से बाहर समस्त प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ।

काल से—मैं जीवनपर्यन्त उक्त प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ।

भाव से—मैं मन वचन काय से उक्त प्रकार की चोरी न करूंगा और न करवाऊंगा। इसके मुख्य निम्नोक्त पाँच भेद हैं—

१ किसी के मकान में खात (सेंध) लगा कर स्वामी की आज्ञा बिना कोई वस्तु लेना।

२ गांठ खोल कर स्वामी की आज्ञा बिना कोई चीज लेना।

३ ताले पर कुँजी लगा कर अथवा ताला तोड़ कर बिना आज्ञा किसी की वस्तु लेना।

४ मार्ग में चलते हुए को लूटना।

५ कोई गिरी पड़ी वस्तु जिसका मालिक है, उसकी बिना आज्ञा ग्रहण करना इत्यादि।

नियम

१ मैं नकली चीज को असली कह कर नहीं बेचूंगा।
२ मैं रेल का टिकट और माल का किराया नहीं छिपाऊंगा।
३ मैं डण्डी मार कर कम नहीं तोलूंगा और गज आदि को खिसका कर कम नहीं नापूंगा। अर्थात हर एक प्रकार के व्यापार में छल पूर्वक क्रियाएँ नहीं करूंगा।

आगार

१ किसी सम्बन्धी मित्र या अपने पर विश्वास रखने वाले का घर उसके पीछे खोल कर कोई चीज लेनी पड़े तो इसका मेरे आगार है, किन्तु उसकी सूचना उसे तत्काल दूंगा।
२ कम मूल्य वाली कागज कलम सुपारी औषधि आदि वस्तु जिसका लेना व्यवहार में चोरी नहीं समझा जाता है, स्वामी की आज्ञा बिना लेना पड़े तो इसका मेरे आगार है।

३ मार्ग में गिरी भूली-भटकी वस्तु जिसके मालिक का निश्चय नहीं है, उसको रखने का आगार है। यदि अधिक मूल्य की वस्तु होगी तो उसका कुछ भाग परमार्थ में लगाऊंगा।

४ गड़ा पड़ा धन यदि हाथ लगे तो राज्य के कानून अनुसार करूंगा जिस पर राजा का हक्क नहीं पहुंचता है, उस धन का कुछ भाग परमार्थ कार्य में लगा कर शेष धन रहने का आगार है।

अतिचार (दोष)

१ चोरी की चीज स्वयं खरीदना और दूसरे से खरीदवाना।
२ चोर को चोरी करने में सहायता देना और दिलाना।
३ राज विरुद्ध बड़ा कार्य व अपराध करना और करवाना।
४ तौलने के बाँट और नापने के गज वगैरह हीनाधिक रखना और रखवाना।
५ अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाना और मिलवाना, अथवा दिखाई हुई वस्तु को न देकर दूसरी वस्तु देना या दिलाना।

ये अदत्तादान के पाँच अतिचार हैं, इनको जानकर त्याग करना चाहिये।

सं०
मिति }

ह० त्यागकर्त्ता

नोट:- जिसको इस त्याग व नियम में हीनाधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

शिक्षा

१. चोरी दो तरह से होती है, एक तो चोर की भांति मालिक की अनुपस्थिति में अथवा मालिक को मालूम न हो सके इस तरह रात्रि आदि के समय खात लगाकर या ताला तोड़ कर चोरी की जाती है। दूसरी साहूकारी ढंग से चोरी की जाती है, जो मालिक के समक्ष में जुल्म से अथवा ठगाई से की जाती है। जो जुल्म से होती है उसको दिन दहाड़े लूटना डाका डालना कहते हैं और ठगाई से होने वाली चोरी व्यापारादिक कार्यों में व्याप्त होने से साहूकारी में गिनी जाती है। जैसे पांच रुपये की वस्तु का मोल दस रुपये कहना और उसको बिल्कुल ठीक बता कर बिचारे भोले मनुष्यों को ठग कर द्रव्य पैदा करना यह भी एक प्रकार की चोरी है इसी तरह हिसाब में भुलाकर झूठा खतनामा लिख कर अधिक लेना, किसी की सरहद दबाना घूंस (रिश्वत) लेना आदि को भी चोरी ही समझना चाहिए।

२. यद्यपि इस तृतीयव्रत में व्यापार सम्बन्धी चोरी के सब नियम नहीं आये हैं, तथापि गुणाभिलाषी मानवों को विश्वासघात छल-कपट नहीं करना चाहिये। धर्म, भगवान आदि की सौगन्ध नहीं खाना चाहिये। छोटे बड़े सब के प्रति एक भाव रखना चाहिये यदि अधिक ही लेना हो साफ कह कर लेना चाहिये।

३ व्यापार में सचाई और प्रमाणिकता रखनी चाहिये, क्योंकि इससे प्रतिष्ठा होती है और लाभ भी अधिक होता है इस लिये धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिये सदा सत्य और प्रामाणिकता का व्यवहार करना चाहिये। असत्यता और अप्रमाणिकता से एक बार कदाचित् लाभ हो सकता है, किन्तु पश्चात् मालुम हो जाने पर धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं।

४ आढ़त या दलाली के धन्धे में दुसरे ने विश्वासपात्र समझ कर जो वस्तु सौंपी हो या आर्डर दिया हो उसमें दलाली या आढ़त के सिवा अधिक लालच करना विश्वासघात है इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

चौथा स्थूल मैथुन त्याग—ब्रह्मचर्य व्रत

द्रव्य से—मैं पंचों की साक्षी पूर्वक विवाहिता स्वस्त्री (स्वपति) के साथ एक मास में ( ) दिन के सिवा मैथुन सेवन नहीं करूंगा। देव देवी सम्बन्धी मैथुन सेवन का दो करण तीन योग से त्याग करता हूं, अर्थात मन वचन काय से न करूंगा और न करवाऊंगा तथा मनुष्य मनुष्यनी तिर्यंच तिर्यंचनी सम्बन्धी मैथुन सेवन का एक करण एक योग से त्याग करता हूं, अर्थात काय से मैथुन सेवन नहीं करूंगा।

क्षेत्र से—मर्यादित क्षेत्र में स्वदारसंतोष व्रत रक्खूंगा, अर्थात अपनी पाणिगृहीता स्त्री के सिवा सब स्त्री का त्याग करता हूँ, तथा मर्यादा के बाहर सब प्रकार के मैथुनसेवन का उक्त प्रकार से त्याग करता हूँ।

काल से—जीवनपर्यन्त मैथुनसेवन का उक्त प्रकार से त्याग करता हूँ।

भाव से—उपर्युक्त करण और योग से मैथुनसेवन का त्याग करता हूँ।

नियम

—:※:※:—

१ मैं इतने(   ) वर्ष तक जब तक विद्या पढ़ता हूं पूरा ब्रह्मचर्य पालूंगा, अर्थात् किसी प्रकार अपने वीर्य को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि विद्या का लाभ ब्रह्मचारी को सहज में होता है।

जाती है, अतः दूसरी बार भोग करने से अधिक पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा का दोष लगता है।

३ अपनी सन्तान का विवाह बाल्यावस्था में नहीं करना चाहिये।

४ अश्लील गाली और असभ्य वचन नहीं बोलना चाहिये।

५ विशेष कारण बिना अविश्वासी पुरुष के घर नहीं जाना चाहिये।

६ व्यभिचारी और विषयलोलुपी पुरुष की संगति नहीं करनी चाहिये।

७ विकारदृष्टि से स्त्री को परपुरुष के और पुरुष को परस्त्री के अंगोपांग नहीं देखना चाहिये।

८ परपुरुष या परस्त्री के साथ विशेष कारण बिना एकान्त में नहीं रहना चाहिए।

९ बिना काम रात्रि में या असमय में जहां तहां नहीं भटकना चाहिये।

१० पुरुष को स्त्री समूह में और स्त्रियों को पुरुष समूह में विशेष कारण बिना नहीं बैठना चाहिए।

११ पुरुष को परस्त्री के बिछौने पर और स्त्री को परपुरुष के बिछौने पर नहीं बैठना चाहिए।

१२ जहां स्त्री पुरुष का संघर्षण (शरीर स्पर्श) होता हो ऐसे मेलों में नहीं जाना चाहिए।

१३ विषयलालसा को बढ़ाने वाले नाटक आदि नहीं देखना चाहिये।

१४ शृंगार रस के गायन नहीं गाने चाहिये।

१५ विषय वृत्ति पर अंकुश न रहे ऐसी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए।

१६ विकार को उत्पन्न करने वाले वस्त्र आभूषण नहीं पहनने चाहिए।

१७ कामविकार उत्पन्न करने वाले स्त्री आदि के चित्र अपने मकान में नहीं रखने चाहिए।

१८ स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा वार्ता नहीं करनी चाहिए।

१९ शीलव्रत के नियम वाले को अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या आदि दिनों में अपनी सोने की शय्या दूर रखनी चाहिये, और स्त्री का स्पर्श नहीं होने देना चाहिये क्योंकि निमित्त मिलने पर व्रत भंग का पूरा भय रहता है, तथा नियम वाले दिनों में इन्द्रिय बलकारी भोजन नहीं करना चाहिये।

२० एक बार मैथुन सेवन करने में एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवों के सिवा कभी कभी नौलाख संज्ञी पचेन्द्रिय मनुष्यों का भी घात हो जाता है, जैसे अग्नि में तपाई हुई लोहे की सलाई बांस की नली में डालने से नली में पड़े हुए सब तिल जल जाते हैं वैसे ही संयोग करते समय योनि में जितने जीव होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं।

—※—

हिरण्य— घड़ी हुई या बिना घड़ी हुई चांदी घर खर्च के लिए जीवन पर्यन्त तक वजन ( ) और व्यापार निमित्त एक वर्ष प्रति वजन) इसके उपरान्त का त्याग करता हूँ।

सुवर्ण— घड़ा हुआ या बिना घड़ा हुआ सोना जन्म पर्यन्त घर खर्च के लिए वजन ( ) और व्यापार निमित्त एक वर्ष प्रति वजने ( ) इससे अधिक का त्याग करता हूं।

धन— मोहर गिनी रुपये पैसे आदि सिक्के तथा हीरा मोती माणिक आदि जवाहिरात घर खर्च के लिए रू० ( ) का जीवन पर्यन्त तक तथा व्यापार निमित्त एक वर्ष तक रू० ( ) का. इससे अधिक का त्याग करता हूं।

धान्य— सब २४ प्रकार का धान्य घरखर्च के लिए एक वर्ष में मन ( ) और व्यापार निमित्त एक वर्ष में मन ( ) और बाकी सब का त्याग करता हूं।

द्विपद— नौकर चाकर (दास दासी) एक वर्ष में नग ( ) तक की मर्यादा करता हूँ इससे अधिक का त्याग करता हूँ।

चतुष्पद— गाय ( ) भैंस ( ) घोड़ा ( ) ऊंट ( ) बैल ( ) बकरी ( ) भेड़ ( ) हाथी ( ) का जीवन का पर्यन्त तक के लिए

परिमाण करता हूं, इससे ज्यादा त्याग करता

कुप्प (कुविय)—कांसा पीतल ताँबा लोहा आदि धातु जी
पर्यन्त घर खर्च के लिये रु ( ) तक
और व्यापार निमित्त एक वर्ष में रु० (
तक की मर्यादा करता हूं।

मेज कुर्सी सन्दूक आदि नये खरीदने पड़े तो रु० (
तक।

रुई सूत ऊन कपास कपासिया (विनौला) का व्यापार
करना पड़े तो रु० ( ) तक

गाड़ी मोटर बग्गी तांगा आदि वाहन (सवारी) का रखना
पड़े तो नग ( ) तक

कपड़े तथा कुप्टे के व्यापार करने निमित्त रु० ( ) तक

जीन मिल प्रेस आदि कारखाने रखने पड़े तो नग ( )
तक.

किराना आदि का व्यापार करना पड़े तो रु० ( ) तक

मनिहारी सामान, कांच आदि का व्यापार करना पड़े तो
रु० ( ) तक.

परचूनी व्यापार करना पड़े तो रु० ( ) तक का
परिमाण करता हूं, इसके उपरांत सब का त्याग करता हूं।

नियम.

१ मैं एक महीने से अधिक ऐसा अनाज नहीं रक्खूंगा जिसमें घुना लग सके।

२. मैं इंजन से चलने वाले मिल आदि कारखाने नहीं रक्खूंगा क्योंकि इनमें असंख्य जीवों का घात होता है, जिससे घोर पाप का बन्ध होता है।

आगार

मैंने जो उक्त मर्यादा की है, इसके सिवा बखशीश की चीज तथा मांगती हुई चीज के बदले कोई चीज आजाय और वह बिके नहीं तब तक रखनी पड़े, दयादृष्टि से किसी द्विपद चतुष्पद को रखना पड़े, किसी सगे सम्बन्धी की जायदाद की व्यवस्था करनी पड़े, किसी का ट्रस्टी होना पड़े, पंचायत के द्रव्यादि की व्यवस्था करनी पड़े, किसी निराधार की रक्षा करनी पड़े, कम्पनी में भाग रखना पड़े, किसी मिल आदि के शेअर खरीदने पड़े किसी योग्य व्यापार की दलाली करनी पड़े, नौकरी करनी पड़े आजीविका का दूसरा साधन न मिलने पर योग्य व्यापार करना पड़े तो मेरे आगार है चतुष्पद आदि का परिवार बढ़े तो उसको रखने का मेरे आगार है।

—:०:—

शिक्षा

१ इच्छा बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है, ज्यों ज्यों इच्छा बढ़ती है त्यों त्यों असन्तोष और अशान्ति भी बढ़ती है, इस वास्ते शांतिसुख के लिए इच्छा को घटाना चाहिए।

२ अपने कुटुम्ब के निर्वाह के साथ परमार्थ कार्य में लगा सकने योग्य द्रव्य हो जाने के बाद अधिक असन्तोष नहीं रखना चाहिए, अथवा बढ़ा हुआ द्रव्य परमार्थ कार्य में ही लगाना चाहिये।

३ परमार्थ कार्य में द्रव्य खर्च करने की इच्छा से अनीति—अन्याय पूर्वक द्रव्य पैदा नहीं करना चाहिए। किन्तु न्याय पूर्वक द्रव्य पैदा करना चाहिए।

४ कन्या बेच कर द्रव्य पैदा करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।

५ जाति कुल धर्म और समाज को कलंक लगे और राजा दंड दे सके ऐसे कार्य करके धन संचय करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।

६ अपने ऊपर कुटुम्ब के मनुष्यों का भार हो और निर्वाह योग
कोई साधनन हो ऐसी दशा में सन्तोष धारण कर या आल

[illegible]

७ न्यायमुक्त छोटे धन्धों की अपेक्षा अन्यायमुक्त बड़े ध[illegible]
महा भयंकर तथा अधोगति में पहुंचाने वाले हैं।

८ शक्ति से अधिक व्यय करने वाला जितना हास्यपात्र है उस[illegible]
अपेक्षा शक्ति होने पर भी परमार्थ में व्यय नहीं करने वाला
अधिक हास्यपात्र है। इसलिये शक्ति अनुसार परमार्थ में
द्रव्य लगा कर लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिये।

९ दूसरे की सम्पत्ति देख कर मन में ईर्षा नहीं करनी चाहिये।

१० कसाई खटीक आदि क्रूर हिंसक मनुष्यों को धंधे के लिये
रुपये उधार नहीं देना चाहिए, अथवा उनके धन्धों को
उत्तेजना मिले ऐसा काम नहीं करना चाहिये।

११ धर्म आबरू की रक्षा न हो ऐसे धन्धे व नौकरी नहीं करनी
चाहिये।

१२ किसी के उधार लिये हुए द्रव्य को पीछा नहीं देने की
इच्छा कभी न रखनी चाहिये।

१३ शक्ति से अधिक खर्च नहीं करना चाहिये और न कंजूसी ही
करनी चाहिये, लेकिन उत्तम कामों में यथाशक्ति अवश्य
सहायता करनी चाहिये।

४ धर्मार्थ निकाला हुआ द्रव्य घर में नहीं रखना चाहिये, किन्तु उसको धर्मार्थ नियत कर देना चाहिये या धर्म कार्य में खर्च कर देना चाहिये। यदि धर्मार्थ निकाले हुए द्रव्य का एक पैसा भी घरखर्च में आजाय तो बड़ी भारी पूंजी को धक्का देता है।

५ लक्ष्मी चंचल है, इसलिये इसका अभिमान नहीं करना चाहिये किन्तु विनीत और विवेकी बन कर लक्ष्मी का लाभ लेना चाहिये।

६ इंजन से चलने वाले मिल प्रेस आदि कारखानों से असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है इसलिये इनका त्याग करना चाहिये इनके शेअर भी नहीं खरीदना चाहिये।

७ व्यापार अपनी पूँजी और हैसियत से अधिक नहीं करना चाहिये।

छठा दिशापरिमाण व्रत

द्रव्य से—अपने निवास स्थान से जलमार्ग या स्थल मार्ग द्वा[रा]
दिशाओं में जाना पड़े तो उत्तर में ( ) को[श]
दक्षिण में ( ) कोश पूर्व में ( )
कोश, पश्चिम में ( ) कोश तक तथा पर्वतादि
के ऊपर चढ़ना पड़े या हवाई जहाज से ऊंचा जाना
पड़े तो ( ) कोश तक और कुए बावड़ी भौंहरा
खान आदि में नीचे उतरना पड़े तो ( ) गज
तक जा सकूंगा। इससे आगे जाकर पांच आश्रव सेवन
करने का त्याग करता हूं।

क्षेत्र से— सम्पूर्ण लोक की दिशाओं की उक्त प्रकार से मर्यादा
करता हूं और इसके उपरान्त का त्याग करता हूँ।

काल से—जन्मपर्यन्त उक्त प्रकार मर्यादा करता हूँ और शेष का
त्याग करता हूँ।

भाव से—एक करण तीन योग से अर्थात मन वचन काया से उक्त
प्रकार की गई मर्यादा से अधिक न जाऊँगा।

आगार

१ जो मैंने दिशाओं की मर्यादा की है, इसके बाहर तार या पत्र व्यवहार करना पड़े, माल मँगाना या भेजना पड़े, गुमाश्ते या वकील को भेजना पड़े तो मेरे आगार है।

२ राजा आदि की आज्ञा से अथवा आकस्मिक दैवीय घटना से की गई मर्यादा का उल्लँघन हो जाय तो मेरे आगार है।

३ यदि धर्म कार्य निमित्त मर्यादा से बाहर जाना पड़े तो मेरे आगार है।

४ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं की जो हद बांधी है उसके अन्दर की कोई जमीन यदि स्वभाविक ऊँची या नीची हो और वहाँ पर जाना पड़े तो उसका मेरे आगार है।

९ गुलाब मोगरा चम्पा चमेली आदि फूल व सूंघने की तमाखू आदि द्रव्य की एक दिन में जाति ( ) तक।

१० पहनने के आभूषण की जाति ( ) कीमत रु०

११ धूप करना पड़े तो वर्ष में जाति ( ) वजन ( ) तक।

१२ पीने की वस्तु दूध रबड़ी चाय शर्बत आदि की जाति ( ) प्रतिदिन वजन ( ) तक।

१३ खाने के लिये मिठाई आदि पदार्थों की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।

१४ चाँवल खिचड़ी थूली आदि रांधन एक दिन में वजन ( ) तक।

१५ अरहर (तुवर) उड़द मूंग मटर चने आदि की दाल की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।

१६ दूध दही घी तैल मीठा इस तरह विगय पाँच प्रकार का है, उसका प्रतिदिन वजन ( ) तक, मक्खन और शहद महाविगय हैं इनका त्याग करता हूँ, औषधि के लिए आगार है।

१७ हरी शाक की जाति ( ) और सूखी शाक की जाति ( ) एक दिन में जाति ( ) वजन ( ) तक।

१८ फल की जाति ( ) एक दिन में जाति ( ) वजन ( ) तक।

हरी शाक फल आदि के नाम.

(जिस वस्तु को रखना हो उस पर पेन्सिल का निशान कर देना चाहिये)

हरी शाक के नाम.

१ ककड़ी
२ करेला
३ भिन्डी
४ तोरई
५ चवले की फली
६ गवार की फली
७ मूंग की फली
८ मटर की फली
९ सेम की फली
१० तुवर की फली
११ मोठ की फली
१२ हरे चने (बूट, झौला)
१३ लौकी (आल, लाउ, घिया)
१४ खरबूजा
१५ काचरा (काचर)
१६ काचरी (छोटा काचर)
१७ तरबूज (कलिंदा, मतीरा)
१८ घिया तरोई (गिलकिया)
१९ मोगरी
२० वालोर की फली
२१ टींडसी
२२ टिंडोरा
२३ करौंदा
२४ खीरा
२५ परवल
२६ भुट्टा (मकई)
२७ हरी मिर्च
२८ आँवला
२९ लिसोड़ा (बहुगुन्दा)
३० कंटोला
३१ दक्खिनी बदरा की फली
३२ सरगवा की सींग (फली)
३३ हरी जुवार
३४ हरा बाजरा (सिट्टा)
३५ खेजड़े की फली (सांगरी, (खोखा)

हरे फलों का नाम

...नाम
...खरबूजा
...मीठा नींबू (मोसंमी)
...केला
...अमरूद
...नारंगी
...सेव
...अनार (दाड़िम)
...अंगूर (द्राक्षा)
...सीताफल (शरीफा)
...चकोतरा (पपनूस बिजोरा)
... नासपाती
... नारियल कच्चा (डाभ)
... अनन्नास (अनारस)
... कमरख
... पौंडा, ईख (साठा)
... पपीता (एरंड ककड़ी)
... बेर या बोर
... फालसा
...० खिरनी रायणा
... गोंदा (गुन्दी)
...२ सफरचन्द
...३ जामुन काला

२४ जामुन सफेद
२५ गुलाब जामुन
२६ कमलगट्टा
२७ तरबूज (कलिंदा, मतीरा)
२८ सिंघाड़े (सांघोड़ा)
२९ नींबू खट्टा (कागजी नींबू)
३० हरी बादाम
३१ हरी कच्ची खुरमानी
३२ आड़ू
३३ बिही (अमरूद)
३४ लकुच
३५ बेल फल
३६ राम फल
३७ लीची लीचू
३८ मोरसिरी
३९ सहतूत
४० हरी खारक (खजूर)
४१ हरी सुपारी
४२ हरी इमली
४३ हरी सौंफ
४४ कपित्थ (कैत-कबीट)
४५ टींवरू (तेंदू)
४६ कसेरू

४७ केला

४८ पीलू

४९ जाल वृक्ष का फल (जलोटिया)

५० सरदा

५१ मतापी नींबू (महतावी नींबू)

दातौन (दांतन)

१ बंबूल की	दांत
२ नीम की	"
३ बोरड़ी की	"
४ मुलेठी की	"
५ कपास के झाड़ की	"
६ बड़ की	"
७ जामुन की	"

सं०
मिती }

ह० त्यागकर्ता

नोट- जिसको कुछ त्याग व नियम अधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

ऊपर लिखे नामों में से जो मैंने मर्यादा की है इससे अधिक का मैं त्याग करता हूँ।

१८ किसमिस (दाख) बादाम पिश्ता चिरौंजी (चारोली) छुहारे खुरबानी केला पिंडखजूर आदि मीठे फल की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।

१९ भोजन एक दिन में वजन ( ) जाति ( ) तक।

२० पीने के लिए पानी एक दिन में वजन ( ) बार-दफे ( ) तक।

२१ तांबूल (पान) इलायची लोंग सुपारी जावित्री जायफल आदि मुख को सुगंधित करने वाली वस्तु की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।

२२ वाहन चार प्रकार के होते है, चरने वाले, फिरने वाले तैरने वाले और उड़ने वाले।

चरने वाले घोड़े ऊंट बैल हाथी आदि सवारी एक दिन में ( ) तक।

फिरने वाले वाहन गाड़ी मोटर लॉरी बग्घी ताँगा साईकल वहेली रथ आदि एक दिन में ( ) तक।

तैरने वाले वाहन नाव स्टीमर जहाज आदि एक दिन में ( ) तक।

उड़ने वाले वाहन हवाई जहाज बेलून आदि एक बर्ष में ( ) तक।

नियम

१ मैं सप्त व्यसन (माँसभक्षण, मद्यपान, द्यूतक्रीड़ा-जूआ खेलना, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, शिकार और चोरी) का त्याग करता हूँ।

२ मैं हरे शाक के व्यापार तथा अचार मुरब्बा बनाकर व्यापार करने का त्याग करता हूँ।

३ मैं फूल१ को शाक नहीं खाऊँगा, क्योंकि फूल में त्रस जीव रहते हैं।

४ मैं बाजार का अचार नहीं खाऊँगा. और घर का बना हुआ अचार भी अधिक काल का अर्थात दिन (   ) से ज्यादा दिन का नहीं खाऊँगा।

५ मैं कन्द मूल का भक्षण नहीं करूँगा, क्योंकि कन्द मूल में अनन्त जीव होते हैं।

६ लोहार सुनार ठठारा छीपा नीलगर रंगरेज धोबी आदि का धन्धा न करूँगा। यदि इनकी बनाई हुई वस्तुएं बेचनी पड़े तो उसका आगार है।

७ लखारा भड़भूंजा चूनीगर भटियारा आदि का काम न करूंगा और करवाऊंगा। घर खर्च के लिये छूट।

८ मैं नाटक सरकस नट और बाजीगर का खेल ख्याल (रम्मत) भांडचेष्टा गायन आदि करके या दूसरों से करा के आजीविका नहीं करूंगा।

---

१ जैसे गोबी आदि फूल।

आगार

—:⊙:o:⊙:—

१ अपने या किसी सम्बन्धी के बाल बच्चे आदि का नाक कान बिंधाना पड़े तो आगार है।
२ जो मैंने पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़े की मर्यादा की है, इसके उपरांत किसी कपड़े का शरीर से स्पर्श हो जाय तो आगार है।
३ यद्यपि नशे की चीज शौक से न पीऊंगा, तथापि विशेष कारण से यदि पीना पड़े तो आगार है।
४ जो मैंने हरी शाक फल आदि का त्याग किया है, उसमें से भी यदि औषधि आदि में जरूरत पड़े तो आगार है।
५ जो मैंने वाहन की मर्यादा की है, उसमें रेलगाड़ी ट्राम्वे पर चढ़ने का आगार है।
६ यदि त्याग की हुई वस्तु या भूल से मिश्रण हो जावें, अन जाने या उपयोग न रहने से वह वस्तु काम में आजावे, लग्न व मृत्यु के समय तथा किसी उत्सव पर या दुष्काल के समय, यदि त्याग की हुई वस्तु का इस्तेमाल करना पड़े तो आगार है।
७ सूखी लकड़ी या सूखे घास का व्यापार करना पड़े तो आगार है।
८ मिल प्रेस आदि में आने वाले सामान का व्यापार करना पड़े तो आगार है।
९ जो मैंने जूते की मर्यादा की है, यदि जूता खो जाने पर फिर पहनना पड़े तो आगार है।

अतिचार (दोष)

सातवें व्रत के २० अतिचार हैं। इन में से पांच अतिचार भोजन सम्बन्धी हैं और बाकी के १५ अतिचार व्यापार सम्बन्धी हैं।

भोजन के पांच अतिचार.

१ जिस सचित्त वस्तु का त्याग किया है, वह वस्तु पूरी तरह अचित्त न हुई हो तो भी उसका भक्षण करना अथवा मर्यादा से अधिक सचित्त वस्तु का भोग करना।

२ सचित्त वस्तु मिली हुई अचित्त वस्तु का आहार करना।

३ अधूरे पके हुए पदार्थ का आहार करना।

४ अविधि से पकाये हुए (भुट्टे आदि) का आहार करना।

५ जिस वस्तु में खाने योग्य भाग थोड़ा हो और फेंकने योग्य भाग अधिक हो, ऐसी वस्तु का आहार करना।

ये भोजन के पांच अतिचार हैं इनको त्यागना चाहिये।